

26/11/24 पत्रावली केस हर्ब / कदी अखि 03 प्र 0
कदी अखि 0 प्रतिकारी काष्ठ के सम्मान
नेचिस रनिस्टर्ड ऐडी केस करे केस
बडी करे पर आदेश 9 नियम 5 के
के वरत कार्पकारी की धारिणी पत्रावली
दिनांक 8/11/25 को केस करे

8/11/25- पत्रावली केस हर्ब / कदी अखि 03 प्र 0
प्रकरण आकीक आदेश के दिनांक
11/25 को केस करे

11/25 पत्रावली केस हर्ब / वादिना एवं कदी अखि.
अनुकूलित) वादिना हर्ब उरिवादिना की
तलबी हेतु निरन्तर अवसर दिने जाने के बाबजूद
भी उरिवादिना की तलबी हेतु सम्मान तलबाने
पेशा बडी छिदि गये हैं। अतः वादी द्वारा उरित
वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी
आधिनियम की आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत
आरिष छिदि जाता है। निधि से रजलास
मुनाजा जमा। उकी पद्यि जागी ही।

पत्रावली फाइनल शुमार होम
वाकिल दफ्तर ही तलब नम्बर से कम ही।

11/25
सहायक पत्रावली
दीर्घवाला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्रीमती प्रिती पत्नी ऋषिकेश महात्मा, निवासी 13-ए-10, बापूनगर, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायण पिता घीसा दरोगा, निवासी पार्वतीपुरा, (गुरलां) तहसील व जिला भीलवाड़ा।?
2. मंजू पत्नी मनोज शर्मा, निवासी आजादनगर भीलवाड़ा।
3. ममता पत्नी मनोज पलोड, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. मंजू पत्नी मुकेश बेहडिया निवासी सेक्टर नम्बर 05-एफ-16-क, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 69/2015 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु निरन्तर अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाने पेश नहीं किये गये ह। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आदेश 09 नियम 05 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा